न्यायालय–समाहर्त्ता, सहरसा।

वासगीत वाद संख्या – 197/2011–12

बहादुर साह बनाम खरकन साह

– :: आदेश :: –

23.9.18

प्रस्तुत वासगीत वाद अपीलार्थी बहादुर साह द्वारा अंचलाधिकारी, सौरबाजार के वासगीत पर्चा वाद संख्या – 29/2006–07 में दिनांक 10.09.2007/04.12.2007 में पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि विवादी भूमि मौजा–लक्ष्मीनियाँ, थाना संख्या–99, नया खाता–164, खेसरा–292, रकवा–07 डीसमल एवं नया खाता संख्या–230, नया खेसरा संख्या–294, रकवा–5 डिसमल है। जो कि पुराने खेसरा 383 एवं खाता 102 से निकला है। जो इसके दादा गोविन्द साह के नाम जमावंदी संख्या–191/230 कायम है, जो अपीलार्थी के हिस्से की जमीन है तथा इस पर ये घर बनाकर रह रहें है तथा खेसरा – 292 पर अद्यतन सर्वे में तुफानी साह के नाम सर्वे गलती से खाता खुल गया है, जिसके विरुद्ध इनके द्वारा स्वत्व वाद दायर किया गया है। प्रतिपक्षियों ने गलत तरीके से वासगीत पर्चा प्राप्त किया है। जबकि उनका अपना घर तथा एक एकड़ से अधिक जमीन है। अंचल कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन भ्रमक है तथा अंचल कार्यालय से इन्हें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रतिपक्षी का कथन है आवेदन कालबाधित है तथा वे सर्वथा वासगीत पर्चा योग्य है तथा अंचलाधिकारी द्वारा विधिवत पर्चा निर्गत किया गया है।

मूल अभिलेख प्राप्त हैं । अवलोकन किया। श्री खरकन साह वो लालो साह के आवेदन पर अंचलाधिकारी द्वारा जाँच करायी गयी। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन है कि "आवेदक का घर बना हुआ है, कई वर्षो से जो गरीब भूमिहीन है। अतः वासगीत पर्चा की स्वीकृति दी जा सकती है।" अंचल अमीन द्वारा भी दिनांक 28.12.2016 को नापी प्रतिवेदन दिया गया है। अभिलेख पर तामिला प्राप्त कर कोई आपत्ति नहीं मिलने पर अंचलाधिकारी द्वारा श्री खरकन साह को प्रश्रय प्राप्त रैयत मानते हुए वासगीत पर्चा निर्गत किया गया है। अभिलेख पर तामिला प्राप्त है जो कि सोमन साह को है जो कि तुफानी साह के वंशज है। तथा अपीलार्थी के अनुसार उनसे इनका स्वत्ववार न्यायालय में चल रहा है। चूँकि वास्तविक भूधारी को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और इन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। अतः अंचलाधिकारी, सौरबाजार को निदेश दिया जाता है कि पुनः भूधारी एवं संबंधित पक्षों को नोटिस कर उनका पक्ष सुनकर विधिसम्मत आदेश पारित करें तथा अंचलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि स्थल पर यथास्थिति बनी रहे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

23.9.18
समाहर्त्ता,
सहरसा।

23.9.18
समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 1509-2/विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए अंचलाधिकारी, सौर बाजार, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
25.09.017